

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,मैनपुरी।
विज्ञप्ति संख्या:-

उ0प्र0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार मध्यस्थता एवं सुलह समझौता केन्द्र में मध्यस्थगणों के 12 पदों पर चयन किया जाना है, जिसके सम्बन्ध में मध्यस्थगणों के पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है।

क्र० सं०	पद नाम	पदों की संख्या	सेवा की अवधि	शैक्षिक योग्यता	आवश्यक आर्हताएं
1.	मध्यस्थ	12	अधिकतम 03 वर्ष	विधि स्नातक, उ0प्र0राज्य बार काउंसिल द्वारा रजिस्टर्ड।	1. आपराधिक विधि एवं सिविल की वकालत का कम से कम 15 वर्ष का अनुभव. 2. उत्कृष्ट कोर्ट का मौखिक व लिखित वार्तालाप की क्षमताये. 3. फौजदारी कानून एवं सिविल कानून की उत्कृष्ट जानकारी.

उपरोक्त पद के आवेदन के साथ अपना आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता के प्रमाणित प्रतिलिपियाँ, पासपोर्ट आकार के 1 फोटो, अनुभव प्रमाण पत्र, के साथ आवेदक निर्धारित प्रारूप पर अपने आवेदन की समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मैनपुरी के कार्यालय में दिनांक: 04.08.2025 को अपरान्ह: 05:00 बजे तक प्राप्त करा दे। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उक्त के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिये जनपद न्यायालय मैनपुरी की वेबसाइट (<https://mainpuri.dcourts.gov.in>) से प्राप्त कर सकते हैं।

दिनांक: 31.07.2025

(कमल सिंह)

अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
मैनपुरी।

प्रतिलिपि:- 1. माननीय सदस्य सचिव, उ0प्र0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ।

- जिलाधिकारी, मैनपुरी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कलेक्ट्रेट व अधीनस्थ तहसीलों के नोटिस बोर्ड पर उक्त विज्ञप्ति को चस्पा कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- जिला सूचना अधिकारी, मैनपुरी को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क विज्ञप्ति प्रकाशित कराने हेतु।
- केन्द्रीय नाजिर जनपद न्यायालय, मैनपुरी को जनपद न्यायालय, मैनपुरी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- अध्यक्ष/सचिव, जिला सिविल बार एसोसिएशन, मैनपुरी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह उक्त विज्ञप्ति व आवेदन पत्र का प्रारूप को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।
- नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, दीवानी न्यायालय, मैनपुरी को उक्त विज्ञप्ति व आवेदन का प्रारूप जनपद न्यायालय, मैनपुरी व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(कमल सिंह)

अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मैनपुरी।

अनुसूचि-एक
(जिला-)

(माध्यम के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन)

1. नाम
2. पिता का नाम
3. पता
(क) कार्यालय-
(ख) निवास-
4. दूरभाष संख्या-
(क) कार्यालय-
(ख) निवास-
5. मोबाइल संख्या-
(क) कार्यालय-
(ख) निवास-
6. ई-मेल आईडी-
7. शैक्षणिक अर्हताएँ-
8. व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभव-
9. तकनीकी अनुभव, यदि कोई हो-
10. मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव, यदि कोई हो-
11. बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांक-
(केवल अधिवक्ताओं के लिए लागू)
12. क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है?
13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वर्तित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है?
14. क्या आपको दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या विकृतचित्त का होना घोषित किया गया है?
15. क्या आपके विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हैं, या क्या आपको ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है?
मैं.....एतद्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं.....न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिये अपनी सहमति देता हूँ। यह आश्वासन देता हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूंगा। मैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन भी देता हूँ।
मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
पूर्ण हस्ताक्षर
दिनांक-